



सरकारी जारी



भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित



पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)

मौसम - खरीफ 2022

सुरक्षित कृषक, राष्ट्र का गौरव

उद्देश्य:

- प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा करव प्रदान करना।
- कृषि में उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना।

पात्र कृषक: अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक (ऋणी/गैर ऋणी)

(ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंकों को बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे।)



राम सरन वर्मा

यह राज्य के चुनिदा किसानों में एक है, जिन्होंने 1988 में केले की खेती में टिशू कल्चर की शुरूआत करी और 1 एकड़ खेत में 400 किंटल केले उगाए। मिट्टी के कटाव को कम करने, उसकी उर्वरता बढ़ाने और उपज बढ़ाने के लिए, इन्होंने फसल बक्र को अपनाया। आज भी इनके तरीकों से, पड़ोसी जिलों के 50,000 से अधिक किसानों को फायदा मिल रहा है। ये देश में और बाहर के किसानों के लिए प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाओं का भी आयोजन करते हैं। कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए, इन्हे 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।

बीमा कहाँ करायें



बैंक शाखा



www.pmfby.gov.in




• GOVERNMENT SERVICES INDIA LIMITED



जन सेवा केंद्र

बीमा कार्यालय



(जनपदवार/फसलवार बीमित राशि एवं देय प्रीमियम पीछे पृष्ठ पर अंकित है)

फसल नुकसान के सम्बन्ध में सूचित करने हेतु

1800 266 0700
1800 889 6868

बैंक शाखा



कृषि विभाग



क्राप इन्डियरेस्ट्रीज

कृषक बीमा सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए राज्य अधिसूचना, बीमा प्रपत्र, भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in) कृषि/उद्यान विभाग, टोल फ्री नं. एवं क्रियान्वयक अभिकरण से समर्पक करें।

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड



पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2022 के अन्तर्गतजनपद / फसलवार बीमित राशि एवं कृषक देय प्रीमियम राशि (₹./हे.)

(खरीफ 2022 मौसम के अन्तर्गत एचडीएफसी को अधिकृत जिलों के अधिसूचित फसलों में बीमा के लिए
देय प्रीमियम दर केला, मिर्च, पान – बीमित राशि का 5%)

मौसम	खरीफ 2022	फसल		
		केला	मिर्च	पान
जिला				
गाजीपुर	बीमित राशि ₹	1,50,000	50,000	-----
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	7,500	2,500	-----
ललितपुर	बीमित राशि ₹	-----	-----	10,00,000
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	-----	-----	50,000
मिर्जापुर	बीमित राशि ₹	-----	50,000	-----
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	-----	2,500	-----
वाराणसी	बीमित राशि ₹	-----	50,000	-----
	कृषक प्रीमियम राशि ₹	-----	2,500	-----



pmfby.up@hdfcergo.com



<https://pmfby.gov.in/farmer>